राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)त.शि. / 04–पार्टI

जयपुर, दिनांक, 13 जुलाई, 2020

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
महिला अजमेर।

विषय :– Approval Minutes of meeting Board of Governors dated 24-06-2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 24-06-2020 में लिये गये निर्णयों के कम में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

5. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
7. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप–III जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि

18th Meeting of Board of Governance (BoG) of Mahila Engineering College, Ajmer (Engineering College Society, Ajmer) was held on Wednesday, June 24, 2020 at 01.00 PM in the Board Room of Takniki Shiksha Bhawan, Govt. R.C. Khaitan Polytechnic Campus, Jaipur vide order no.22(5)T.E./04-I Jaipur Dated: 10.06.2020, Technical Education Department, GoR, Jaipur under the Presidentship of Dr. Subhash Garg, Hon'ble MoS Technical Education and under the Chairmanship of Prof. N. C. Shivprakash, Hon'ble Chairman, BoG.

ATTENDANCE

Special Invitee:

- Prof. R.P. Dahiya, Former Director, MNIT, Jaipur.

Following Members were present:

1. Smt. Shuchi Sharma, Secretary, Technical Education, Govt. of Rajasthan
2. Sh. Dariya Singh Yadav, Director, Board of Technical Education, Jodhpur
3. Dr. S. K. Bansal, University Nominee, BTU, Bikaner
4. Dr. Mahesh Bohra, Member
5. Sh. S.S. Agrawal, Member
6. Dr. Ashok Kumar, Member
7. Dr. J.K. Deegwal, Principal & Member Secretary

Following members were absent:

8. Prof. R.S. Rathore, Dean, Haryana Vishwakarma Skill University, Gurugram (AICTE Nominee)
9. Nominee, Principal Secretary (Finance)

Following officers were also present:

10. Sh. Anil Kumar Agarwal, Joint Secretary-I, TE, GoR, Jaipur
11. Dr. Manish, Gupta, Joint secretary-II, TE, GoR, Jaipur
12. Dr. Sundeep Kumar, Director, CEG, Jaipur
13. Dr. U.S. Modani, Principal, EC, Ajmer
14. Dr. Shivlal, Principal EC, Banswara
15. Dr. Ankur Pareek, SPIU, TEQIP-III, Jaipur
16. Dr. D.C. Goyal, NO (Finance), SPIU, TEQIP-III, Jaipur
17. Mr. M.A. Pathan, TE, GoR, Jaipur

प्रस्ताव सं. 18.01 : 17वीं शासी परिषद् के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित

①

प्रस्ताव सं. 18.02 : वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 18.03 : वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंकेक्षित लेखों का प्रतिवेदन प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 18.04 : वर्ष 2011–12 व अन्य में नियुक्त संकाय सदस्यों के कैरियर उन्नति योजना अन्तर्गत बन्द लिफाफे खोलने के प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : लिफाफे खोले गये। कॉमन निर्णय संख्या 12 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव सं. 18.05 : डिजिटल माध्यम से वेबिनार / कार्यशाला / एफ.डी.पी. / विशेषज्ञ व्याख्यान पर TEQIP-III फण्ड अन्तर्गत व्यय की अनुमति प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित निम्नानुसार

1. रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. ऑफलाईन कार्यक्रम की तरह टेक्युप तृतीय प्रावधनों के अन्तर्गत विशेषज्ञों को केवल मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
4. एक दिन में ऑनलाईन कार्यक्रम के लिए अधिकतम 2 से 3 विषय विशेषज्ञ हो सकते है। तदानुसार समयावधि सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव सं. 18.06 : महाविद्यालय में सत्र 2020–21 में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया के विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किये जाने के लिए टेक्युप परियोजना में राशि रूपये 10.00 लाख तक IOC मद से व्यय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव सं. 18.07 : अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अनुमति से निम्न टेबल एजेण्डें रखे गये।

टेबल एजेण्डा सं. 18.7.1 : कार्मिकों के सातवें वेतन पे फिक्शेसन मामले के निस्तारण की अनुमति के संबंध में।

निर्णय : श्रीमती श्वेता त्रिपाठी, सहायक आचार्या, मानविकी एवं विज्ञान विभाग तथा श्री अरविन्द जादम, पुस्तकालय लिपिक के सातवें वेतन स्थरीकरण के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इसके लिए उपकुलसचिव (लेखा), अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती सुमन सिंह, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रकरण नोटेड किया गया।

टेबल एजेण्डा सं. 18.7.2 : दो संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने के संबंध में।

निर्णय : प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारण संबंधी प्रस्ताव अलग पत्रावली पर तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को अग्रिम आदेशनार्थ प्रेषित की जावें।

दिनांक 23–25/6/2020 को तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बी.ओ.जी. बैठक के कॉमन निर्णय :–

1. सत्र 2020–21 में प्रदेश में रीप के माध्यम से बी.टेक में 12वीं की मेरिट के आधार पर अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही की जावे।
2. समस्त 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाइटी के ऑडिट के लिए एक ही सी.ए. ऑडिट फर्म लगाया जावे, इसके लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा चयन की प्रक्रिया की जावे। इसका अनुमोदन प्रेसीडेन्ट महोदय से लिया जावे।
3. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का LFAD ऑडिट कराये जाने हेतु विभाग की ओर से वित्त विभाग को पत्र लिखा जावे।
4. सभी 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को एक ही सोसाइटी के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जावे।
5. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँरा अन्तर्गत RUSA के तहत स्वीकृत राशि रूपये 6.5 करोड़ रूपये का RUSA की गाइडलाइन के तहत लैब, इक्विमेंट, इत्यादि का कार्य किया जाना है। इसके लिए संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। नोडल अधिकारी शीघ्र बाँरा की विजिट कर तकनीकी शिक्षा विभाग को रिपोर्ट पेश करें।
6. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्मिको को लागू 7वें वेतनमान के 50 प्रतिशत केन्द्रांश राशि के भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने के एजेण्डा को सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के लिए स्थगित किया गया।
7. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्य भर्ती हेतु जारी विज्ञापन की राशि को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को शीघ्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये।
8. TEQIP-III के अन्तर्गत क्रय की प्रक्रिया को केन्द्रीयकृत किये जाने हेतु समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों (टेक्यूप-III) प्राचार्यों के साथ पृथक से बैठक की जावें।
9. TEQIP-III के अन्तर्गत ऑनलाइन संगोष्ठी/कार्यशाला/वेबीनार/लघू अवधि प्रशिक्षण हेतु अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को जोड़ा जावें।
10. महाविद्यालयों में किसी भी राशि के अग्रिम का समायोजन GF &AR के अनुसार किया जावें। ऐसा न होने पर वेतन से राशि काटी जावें।
11. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन TEQIP-III की सम्बन्धित मद से नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।
12. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शिक्षकों के छठें वेतनमान के अन्तर्गत AGP 6000-7000 के लिफाफे खोले गये। यह निर्देश प्रदान किये गये कि जिन प्रकरणों में ऑडिट/विशेष ऑडिट/जाँच/न्यायलय प्रकरण हैं, उन्हें CAS का लाभ रोका जावे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्पष्ट रूप से अनुशंषित प्रकरणों को अनुमोदित किया गया।
13. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा सी.सी.टी.वी सिस्टम का लिंक तकनीकी शिक्षा विभाग को एक माह में भेजा जावे। प्रेसीडेन्ट महोदय के कक्ष में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा यह व्यवस्था की जावे।
14. जिन अभियांत्रिकी महाविद्यालियों में फैकल्टी की समस्या है। वहाँ पर अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से प्रवेशित छात्रों की वास्तविक संख्या के मध्यनजर आवश्यकतानुसार चार माह के लिए कार्यव्यवस्थार्थ फैकल्टी को भेजा जायेगा।